

बार कोड : पैन : 

फॉर्म क्र. 15 जी

[धारा 197 ए (1C), 197 ए (1ए) और नियम 29 C देखें]

आयकर कानून 1961 की धारा 197 ए (1) और धारा 197 ए (1ए) के अंतर्गत कर कटौती के बिना कुछ प्राप्तियों का दावा करने वाले व्यक्ति (कंपनी का कर्म नहीं) द्वारा की जाने वाली घोषणा।

भाग 1

1. असेसी (घोषणाकर्ता) का नाम		2. असेसी का पैन	
		3. असेसमेंट वर्ष (जिसके लिए घोषणा की जानी है)	
4. फ्लैट/डोर/ब्लॉक नं.	5. परिसर का नाम	6. दर्जा	
		7. किस वॉर्ड / सर्कल में असेस किया गया।	
8. सड़क/गली/लेन	9. शेत्र/इलाका	10. ए ओ कोड (पिछली बार जिसके तहत असेस किया गया था)	
11. नगर/शहर/ज़िला	12. राज्य	एरिया कोड	ए ओ टाइप
	13. पिन	रेज कोड	ए ओ क्र.
15. ईमेल	16. फोन नं. (एसटीडी कोड सहित) और मोबाइल नं.	14. पिछला असेसमेंट वर्ष जिसमें असेस किया गया।	
19. व्यवसाय / पेशे का नाम		17. वर्तमान वॉर्ड/सर्कल	
21. आयकर के ज्युरिस्टिक्शनल मुख्य आयुक्त या आयकर आयुक्त (यदि पहले आयकर का आकलन नहीं किया गया।)		18. रेसिडेंशियल स्टेटस (आयकर अधिनियम 1961 की धारा 6 अर्थ के अंतर्गत)	
22. नीचे वर्णित स्त्रोतों से अनुमानित कुल आय।		19. वर्तमान ए ओ कोड (यदि उपरोक्त के समान नहीं हैं)	
		एरिया कोड	ए ओ टाइप
		रेज कोड	ए ओ क्र.
23. पिछले वर्ष की अनुमानित कुल आय जिसमें कॉलम 22 में वर्णित आय को शामिल किया जाना चाहिए।			
24. निवेशों के विवरण जिसके संदर्भ में घोषणा की जा रही है :			

अनुसूची I

शेयरों की संख्या	शेयरों की श्रेणी और प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य	शेयरों का कुल अंकित मूल्य	शेयरों की विशिष्ट संख्याएं	घोषणाकर्ता द्वारा शेयर अर्जित किए जाने की दिनांक(कें) (दिन/माह/वर्ष)

अनुसूची II

सिक्योरिटीज के विवरण	सिक्योरिटीज की संख्या	सिक्योरिटीज की राशि	सिक्योरिटीज की तिथि(यां) (दिन/माह/वर्ष)	घोषणाकर्ता द्वारा सिक्योरिटीज अर्जित किए जाने की दिनांक(कें) (दिन/माह/वर्ष)

9333/21.03.2013

अनिवार्य: शाखा द्वारा भरा जाना है

फॉर्म 15 जी के लिए जांच सूची(60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के लिए)

मैंने निम्नलिखित की जांच की है तथा पुष्टि करता हूँ	निशान लगाएं (✓ या ✗)
ग्राहक की आयु >= 60 वर्ष है (यदि आयु 60 वर्ष से कम हो तो फॉर्म 15 जी भरें)	
ग्राहक के ग्राहक पहचान कार्ड के सामने बैंक रिकार्ड में पैन कार्ड संख्या को अद्यतन किया जाए	
पैन कार्ड की प्रतिलिपि संलग्न (यदि प्रणाली में अद्यतन न किया गया हो)	
ग्राहक ने छह स्थानों पर हस्ताक्षर किए हैं (द्वारा दर्शाया गया है)	
© चिन्हित क्षेत्र भरे जाने अनिवार्य हैं	
नियोजक का नाम नियोजक की कोड संख्या	
नियोजक के हस्ताक्षर दिनांक	



We understand your world

Branch Seal with
Sign &
Date

अनुसूची III

उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे व्याज पर धनराशि दी गई	व्याज पर दी गई राशि	दिनांक जब धनराशि व्याज पर दी गई (दिन/माह/वर्ष)	अवधि जिसके लिए यह धनराशि व्याज पर दी गई	व्याज की दर
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड © ग्राहक का पाठ्यान पत्र :				
© एकली संख्या :				
© एकली संख्या :				
© एकली संख्या :				
© एकली संख्या :				
© एकली संख्या :				
© एकली संख्या :				
© एकली संख्या :				

अनुसूची IV

म्यूचुअल फंड का नाम और पता	यूनिट्स की संख्या	यूनिट्स की श्रेणी और प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य	यूनिट्स की विशेष संख्या	यूनिट्स के संबंध में आय

अनुसूची V

डाक-घर का विवरण जहां राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत खाता खोला हुआ है तथा खाता संख्या	दिनांक जब खाता खोला गया (दिन/माह/वर्ष)	खाते से आहरण की राशि

घोषणा / सत्यापन

घोषणकर्ता का हस्ताक्षर

मैं / हम एतद्वारा घोषित करता हूँ / करते हैं कि मेरे / हमारे श्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार ऊपर वर्णित जानकारी सही, पूर्ण है तथा वह सत्य वर्णन करती है और यह कि इस फॉर्म में संदर्भित आयकर कानून 1961 की धारा 60 से 64 के तहत किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में शामिल करने योग्य नहीं है, मैं / हम यह भी घोषित करता हूँ / करते हैं कि मेरी / हमारी अनुमानित कुल आय कॉलम 2 1 में संदर्भित आय सहित, पर कर की गणना असेसमेंट वर्ष से संबंधित को समाप्त पिछले वर्ष के लिए आयकर कानून 1961 के प्रावधानों के अनुसार शून्य होगी, मैं / हम यह भी घोषित करता हूँ / करते हैं कि असेसमेंट वर्ष से संबंधित को समाप्त पिछले वर्ष के लिए कॉलम 22 में संदर्भित मेरी / हमारी आय अधिकतम राशि से ज्यादा नहीं होगी जो आयकर के लिए वसूलने योग्य नहीं है.

स्थान :

दिनांक :

भाग II

घोषणकर्ता का हस्ताक्षर

(उस व्यक्ति द्वारा उपयोग हेतु जिसके लिए घोषणा दी गई है.)

1. भाग I के कॉलम 22 में संदर्भित आय करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम एचडीएफसी बैंक लि.	2. भाग II के कॉलम 1 में निर्देशत व्यक्ति का वैन AAACH2702H		
3. पूरा पता एचडीएफसी बैंक हाजुस, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई, महाराष्ट्र - 400013.	4. भाग II के कॉलम 1 में निर्देशत व्यक्ति का टैन MUMH03189E		
5. ईमेल : support@hdfcbank.com	6. (फोन नं. (एसटीडी कोड सहित) और मोबाइल नं. :)		
8. दिनांक जिस पर घोषणा दी गई (दिन/माह/वर्ष)	9. अवधि जिसके संदर्भ में डिविड घोषित किया गया या आय अदा / जमा की गई.	10. अदा आय की राशि	11. दिनांक जब आय अदा / जमा की गई ¹ (दिन / माह / वर्ष)
12. नेशनल सेविंग्स स्कीम के तहत डिविड / निकासी की घोषणा, विवरण या भुगतान का दिनांक दिन/माह/वर्ष	लागू नहीं	13. नेशनल सेविंग स्कीम का अकाउंट नंबर जिसके निकासी की गई ¹ लागू नहीं	

मुख्य आयुक्त या आयकर आयुक्त को अप्रेषित.....



स्थान :

दिनांक :

भाग I के कॉलम 2 1 में संदर्भित आय अदा
करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का हस्ताक्षर

नोट:

1. डाक-तार का पूरा पता दीजिए।
2. घोषणा तीन प्रतियों में दी जाए।
3. *जो लागू न हो उसे काट दें।
4. किसी व्यक्ति द्वारा धारा 197 ए (1) के तहत और किसी व्यक्ति (कंपनी या फर्म के अलावा) द्वारा धारा 197 ए (1) के तहत घोषणा की जा सकती है।
5. **उस क्षमता को दर्शाएं जिससे हिन्दू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों के संघ, आदि की ओर से घोषणा प्रस्तुत की गई हो।
6. .सत्यापन (जाँच) पर हस्ताक्षर करने से पहले घोषणाकर्ता संतुष्टि कर ले कि घोषणा में दी गई जानकारी पूर्ण रूप से सत्य, सही और पूरी है। घोषणा-पत्र में झूठा कथन देने वाले व्यक्ति पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के अंतर्गत अभियोग लगाया जा सकता है, तथा दोषी पाए जाने पर दण्ड दिया जाएगा-
- (i) कर से बचने की मांग 25 लाख रुपये से अधिक हो जाने की स्थिति में छ: महीने से अनधिक लेकिन सात वर्ष तक जुमाने के साथ बढ़ाए जाने के योग्य कठोर कारावास;
- (ii) किसी अन्य प्रकरण में, कठोर कारावास जो तीन माह से कम नहीं होगा लेकिन इसे जुमाने के साथ दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
7. भाग I के कॉलम 22 में संदर्भित आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति घोषणा को स्वीकार नहीं करेगा जहाँ धारा 197 ए के उप धारा (1) या उप धारा (1ए) में संदर्भित स्वरूप की आय राशि या ऐसी जमा या अदा की राशि का योग या पिछले वर्ष के दौरान जमा या अदा की जाने वाली संभावित राशि जिसमें शामिल की जानेवाली ऐसी आय अधिकतम राशि से अधिक हो जाती है, जो चैप्टर VI ए के तहत कर और कटौती लेने योग्य नहीं है, जिसके लिए घोषणाकर्ता पात्र हैं।

बार कोड : पैन : 

फॉर्म क्र. 15 जी

[धारा 197 ए (1C), 197 ए (1ए) और नियम 29 C देखें]

आयकर कानून 1961 की धारा 197 ए (1) और धारा 197 ए (1ए) के अंतर्गत कर कटौती के बिना कुछ प्राप्तियों का दावा करने वाले व्यक्ति (कंपनी का कर्म नहीं) द्वारा की जाने वाली घोषणा।

भाग 1

1. असेसी (घोषणाकर्ता) का नाम		2. असेसी का पैन	
		3. असेसमेंट वर्ष (जिसके लिए घोषणा की जानी है)	
4. फ्लैट/डोर/ब्लॉक नं.	5. परिसर का नाम	6. दर्जा	
		7. किस वॉर्ड / सर्कल में असेस किया गया।	
8. सड़क/गली/लेन	9. शेत्र/इलाका	10. ए ओ कोड (पिछली बार जिसके तहत असेस किया गया था)	
11. नगर/शहर/ज़िला	12. राज्य	एरिया कोड	ए ओ टाइप
	13. पिन	रेज कोड	ए ओ क्र.
15. ईमेल	16. फोन नं. (एसटीडी कोड सहित) और मोबाइल नं.	14. पिछला असेसमेंट वर्ष जिसमें असेस किया गया।	
19. व्यवसाय / पेशे का नाम		17. वर्तमान वॉर्ड/सर्कल	
21. आयकर के ज्युरिस्टिक्शनल मुख्य आयुक्त या आयकर आयुक्त (यदि पहले आयकर का आकलन नहीं किया गया।)		18. रेसिडेंशियल स्टेटस (आयकर अधिनियम 1961 की धारा 6 अर्थ के अंतर्गत)	
22. नीचे वर्णित स्त्रोतों से अनुमानित कुल आय।		19. वर्तमान ए ओ कोड (यदि उपरोक्त के समान नहीं हैं)	
(कृपया संबंधित खाने में चिन्ह लगाएं)			
अनुसूची I में संदर्भित शेअर्स का डिविडेंड <input type="checkbox"/>			
अनुसूची II में संदर्भित प्रतिभूतियों पर व्याज <input type="checkbox"/>			
अनुसूची III में संदर्भित राशियों पर व्याज <input type="checkbox"/>			
अनुसूची IV में संदर्भित यूनिटों से आय <input type="checkbox"/>			
अनुसूची V में संदर्भित नेशनल सेविंग स्कीम से धारा 80 सीसीए (2)(ए) में संदर्भित निकासी की राशि। <input type="checkbox"/>			
23. पिछले वर्ष की अनुमानित कुल आय जिसमें कॉलम 22 में वर्णित आय को शामिल किया जाना चाहिए।			
24. निवेशों के विवरण जिसके संदर्भ में घोषणा की जा रही है :			

अनुसूची I

शेयरों की संख्या	शेयरों की श्रेणी और प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य	शेयरों का कुल अंकित मूल्य	शेयरों की विशिष्ट संख्याएं	घोषणाकर्ता द्वारा शेयर अर्जित किए जाने की दिनांक(के) (दिन/माह/वर्ष)

अनुसूची II

सिक्योरिटीज के विवरण	सिक्योरिटीज की संख्या	सिक्योरिटीज की राशि	सिक्योरिटीज की तिथि(यां) (दिन/माह/वर्ष)	घोषणाकर्ता द्वारा सिक्योरिटीज अर्जित किए जाने की दिनांक(के) (दिन/माह/वर्ष)

9333/21.03.2013



We understand your world



Branch
Seal with
Sign &
Date

अनुसूची III

उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे व्याज पर धनराशि दी गई	व्याज पर दी गई राशि	दिनांक जब धनराशि व्याज पर दी गई (दिन/माह/वर्ष)	अवधि जिसके लिए यह धनराशि व्याज पर दी गई	व्याज की दर
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड © प्राइवेट का पार्चान पत्र :				
© एकली संख्या :				
© एकली संख्या :				
© एकली संख्या :				
© एकली संख्या :				
© एकली संख्या :				
© एकली संख्या :				
© एकली संख्या :				

अनुसूची IV

म्यूचुअल फंड का नाम और पता	यूनिट्स की संख्या	यूनिट्स की श्रेणी और प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य	यूनिट्स की विशेष संख्या	यूनिट्स के संबंध में आय

अनुसूची V

डाक-घर का विवरण जहां राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत खाता खोला हुआ है तथा खाता संख्या	दिनांक जब खाता खोला गया (दिन/माह/वर्ष)	खाते से आहरण की राशि

घोषणा / सत्यापन

मैं / हम एतद्वारा घोषित करता हूँ / करते हैं कि मेरे / हमारे श्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार ऊपर वर्णित जानकारी सही, पूर्ण है तथा वह सत्य वर्णन करती है और यह कि इस फॉर्म में संदर्भित आयदानी आयकर कानून 1961 की धारा 60 से 64 के तहत किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में शामिल करने योग्य नहीं है, मैं / हम यह भी घोषित करता हूँ / करते हैं कि मेरी / हमारी अनुमानित कुल आय कॉलम 2 1 में संदर्भित आय सहित, पर कर की गणना असेसमेंट वर्ष से संबंधित को समाप्त पिछले वर्ष के लिए आयकर कानून 1961 के प्रावधानों के अनुसार शून्य होगी, मैं / हम यह भी घोषित करता हूँ / करते हैं कि असेसमेंट वर्ष से संबंधित को समाप्त पिछले वर्ष के लिए कॉलम 22 में संदर्भित मेरी / हमारी आय अधिकतम राशि से ज्यादा नहीं होगी जो आयकर के लिए वसूलने योग्य नहीं है.

स्थान :

दिनांक :

भाग II

घोषणकर्ता का हस्ताक्षर

(उस व्यक्ति द्वारा उपयोग हेतु जिसके लिए घोषणा दी गई है.)

1. भाग I के कॉलम 22 में संदर्भित आय अदा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम एचडीएफसी बैंक लि.	2. भाग II के कॉलम 1 में निर्देशत व्यक्ति का वैन AAACH2702H		
3. पूरा पता एचडीएफसी बैंक हाजुस, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई, महाराष्ट्र - 400013.	4. भाग II के कॉलम 1 में निर्देशत व्यक्ति का टैन MUMH03189E		
5. ईमेल : support@hdfcbank.com	6. (फोन नं. (एसटीडी कोड सहित) और मोबाइल नं. : 7. दर्जा देशी कंपनी		
8. दिनांक जिस पर घोषणा दी गई (दिन/माह/वर्ष)	9. अवधि जिसके संदर्भ में डिविडेंड घोषित किया गया या आय अदा / जमा की गई	10. अदा आय की राशि	11. दिनांक जब आय अदा / जमा की गई ¹ (दिन / माह / वर्ष)
12. नेशनल सेविंग्स स्कीम के तहत डिविडेंड / निकासी की घोषणा, विवरण या भुगतान का दिनांक दिन/माह/वर्ष		13. नेशनल सेविंग स्कीम का अकाउंट नंबर जिसके निकासी की गई ¹ लागू नहीं	

मुख्य आयुक्त या आयकर आयुक्त को अप्रेषित.....

स्थान :

दिनांक :

भाग I के कॉलम 2 1 में संदर्भित आय अदा
करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का हस्ताक्षर

नोट:

1. डाक-तार का पूरा पता दीजिए।
2. घोषणा तीन प्रतियों में दी जाए।
3. *जो लागू न हो उसे काट दें।
4. किसी व्यक्ति द्वारा धारा 197 ए (1) के तहत और किसी व्यक्ति (कंपनी या फर्म के अलावा) द्वारा धारा 197 ए (1) के तहत घोषणा की जा सकती है।
5. **उस क्षमता को दर्शाएं जिससे हिन्दू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों के संघ, आदि की ओर से घोषणा प्रस्तुत की गई हो।
6. सत्यापन (जाँच) पर हस्ताक्षर करने से पहले घोषणाकर्ता संतुष्टि कर ले कि घोषणा में दी गई जानकारी पूर्ण रूप से सत्य, सही और पूरी है। घोषणा-पत्र में झूठा कथन देने वाले व्यक्ति पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के अंतर्गत अभियोग लगाया जा सकता है, तथा दोषी पाए जाने पर दण्ड दिया जाएगा-

 - (i) कर से बचने की मांग 25 लाख रुपये से अधिक हो जाने की स्थिति में छ: महीने से अनधिक लेकिन सात वर्ष तक जुमानी के साथ बढ़ाए जाने के योग्य कठोर कारावास;
 - (ii) किसी अन्य प्रकरण में, कठोर कारावास जो तीन माह से कम नहीं होगा लेकिन इसे जुमानी के साथ दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

7. भाग I के कॉलम 22 में संदर्भित आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति घोषणा को स्वीकार नहीं करेगा जहाँ धारा 197 ए के उप धारा (1) या उप धारा (1ए) में संदर्भित स्वरूप की आय राशि या ऐसी जमा या अदा की राशि का योग या पिछले वर्ष के दौरान जमा या अदा की जाने वाली संभावित राशि जिसमें शामिल की जानेवाली ऐसी आय अधिकतम राशि से अधिक हो जाती है, जो चैप्टर VI ए के तहत कर और कटौती लेने योग्य नहीं है, जिसके लिए घोषणाकर्ता पात्र हैं।

अस्वीकरण

1. फॉर्म 15जी केवल 60 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों (यदि 60 वर्ष से अधिक हो तो फॉर्म 15एच भरें), स्वामित्व, समाज, व्यक्ति संघों, न्यास, एचयूएफ आदि के लिए भरा जाना है।
2. यदि पैन के विवरण बैंक के रिकार्डों में अद्यतन नहीं किए गए हैं तो टीडीएस का छूट चिन्हित नहीं किया जाएगा।
3. टीडीएस का छूट इस फॉर्म के जमा करने की विधि से चिन्हित किया जाएगा।
4. पहले से ही की गई स्क्रोट पर कर की कटौती को वापस नहीं किया जाएगा तथा इसकी मांग आयकर विभाग से की जा सकती है।
5. प्रत्येक नए वित्तीय वर्ष में वित्तीय वर्ष के आरंभ में नया फॉर्म 15जी जमा किया जाना आवश्यक है।
6. फॉर्म 15जी तीन प्रतियों में जमा किया जाना आवश्यक है।
7. बैंक में बुक किए गए प्रत्येक सावधि जमा के लिए फॉर्म 15जी जमा कराना आवश्यक है।
8. फॉर्म 15जी के विलंब से या गैर-प्रस्तुत या गलत प्रस्तुत किए जाने के कारण उत्पन्न किसी परिणाम या हानि के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
9. मैं/हम पूर्णतया समझते हैं कि पैन के गलत उद्धरण के, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के अंतर्गत दाइंडिक परिणाम हो सकते हैं तथा पैन के गलत उद्धरण के कारण उत्पन्न किसी भी परिणाम के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं हैं।

बार कोड : पैन : 

फॉर्म क्र. 15 जी

[धारा 197 ए (1C), 197 ए (1ए) और नियम 29 C देखें]

आयकर कानून 1961 की धारा 197 ए (1) और धारा 197 ए (1ए) के अंतर्गत कर कटौती के बिना कुछ प्राप्तियों का दावा करने वाले व्यक्ति (कंपनी का कर्म नहीं) द्वारा की जाने वाली घोषणा।

भाग 1

1. असेसी (घोषणाकर्ता) का नाम		2. असेसी का पैन			
		3. असेसमेंट वर्ष (जिसके लिए घोषणा की जानी है)			
4. फ्लैट/डोर/ब्लॉक नं.	5. परिसर का नाम	6. दर्जा			
		7. किस वॉर्ड / सर्कल में असेस किया गया।			
8. सड़क/गली/लेन	9. शेत्र/इलाका	10. ए ओ कोड (पिछली बार जिसके तहत असेस किया गया था)			
11. नगर/शहर/ज़िला	12. राज्य	एरिया कोड	ए ओ टाइप	रेज कोड	ए ओ क्र.
	13. पिन	14. पिछला असेसमेंट वर्ष जिसमें असेस किया गया।			
15. ईमेल	16. फोन नं. (एसटीडी कोड सहित) और मोबाइल नं.	17. वर्तमान वॉर्ड/सर्कल			
19. व्यवसाय / पेशे का नाम		18. रेसिडेंशियल स्टेटस (आयकर अधिनियम 1961 की धारा 6 अर्थ के अंतर्गत)			
21. आयकर के ज्युरिसिडिक्शनल मुख्य आयुक्त या आयकर आयुक्त (यदि पहले आयकर का आकलन नहीं किया गया।)		20. वर्तमान ए ओ कोड (यदि उपरोक्त के समान नहीं हैं)			
22. नीचे वर्णित स्त्रोतों से अनुमानित कुल आय।		एरिया कोड	ए ओ टाइप	रेज कोड	ए ओ क्र.
(कृपया संबंधित खाने में चिन्ह लगाएं)					
अनुसूची I में संदर्भित शेअर्स का डिविडेंड <input type="checkbox"/>					
अनुसूची II में संदर्भित प्रतिभूतियों पर व्याज <input type="checkbox"/>					
अनुसूची III में संदर्भित राशियों पर व्याज <input type="checkbox"/>					
अनुसूची IV में संदर्भित यूनिटों से आय <input type="checkbox"/>					
अनुसूची V में संदर्भित नेशनल सेविंग स्कीम से धारा 80 सीसीए (2)(ए) में संदर्भित निकासी की राशि। <input type="checkbox"/>					
23. पिछले वर्ष की अनुमानित कुल आय जिसमें कॉलम 22 में वर्णित आय को शामिल किया जाना चाहिए।					
24. निवेशों के विवरण जिसके संदर्भ में घोषणा की जा रही है :					

अनुसूची I

शेयरों की संख्या	शेयरों की श्रेणी और प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य	शेयरों का कुल अंकित मूल्य	शेयरों की विशिष्ट संख्याएं	घोषणाकर्ता द्वारा शेयर अर्जित किए जाने की दिनांक(के) (दिन/माह/वर्ष)

अनुसूची II

सिक्योरिटीज के विवरण	सिक्योरिटीज की संख्या	सिक्योरिटीज की राशि	सिक्योरिटीज की तिथि(यां) (दिन/माह/वर्ष)	घोषणाकर्ता द्वारा सिक्योरिटीज अर्जित किए जाने की दिनांक(के) (दिन/माह/वर्ष)

9333/21.03.2013



We understand your world



अनुसूची III

उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे व्याज पर धनराशि दी गई	व्याज पर दी गई राशि	दिनांक जब धनराशि व्याज पर दी गई (दिन/माह/वर्ष)	अवधि जिसके लिए यह धनराशि व्याज पर दी गई	व्याज की दर
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ◎ प्राइवेट का पार्चान पत्र :				
◎ एकली संख्या :				
◎ एकली संख्या :				
◎ एकली संख्या :				
◎ एकली संख्या :				
◎ एकली संख्या :				
◎ एकली संख्या :				
◎ एकली संख्या :				

अनुसूची IV

म्यूचुअल फंड का नाम और पता	यूनिट्स की संख्या	यूनिट्स की श्रेणी और प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य	यूनिट्स की विशेष संख्या	यूनिट्स के संबंध में आय

अनुसूची V

डाक-घर का विवरण जहां राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत खाता खोला हुआ है तथा खाता संख्या	दिनांक जब खाता खोला गया (दिन/माह/वर्ष)	खाते से आहरण की राशि

घोषणा / सत्यापन

घोषणकर्ता का हस्ताक्षर

मैं / हम एतद्वारा घोषित करता हूँ / करते हैं कि मेरे / हमारे श्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार ऊपर वर्णित जानकारी सही, पूर्ण है तथा वह सत्य वर्णन करती है और यह कि इस फॉर्म में संदर्भित आयदानी आयकर कानून 1961 की धारा 60 से 64 के तहत किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में शामिल करने योग्य नहीं है, मैं / हम यह भी घोषित करता हूँ / करते हैं कि मेरी / हमारी अनुमानित कुल आय कॉलम 2 1 में संदर्भित आय सहित, पर कर की गणना असेसमेंट वर्ष से संबंधित को समाप्त पिछले वर्ष के लिए आयकर कानून 1961 के प्रावधानों के अनुसार शून्य होगी, मैं / हम यह भी घोषित करता हूँ / करते हैं कि असेसमेंट वर्ष से संबंधित को समाप्त पिछले वर्ष के लिए कॉलम 22 में संदर्भित मेरी / हमारी आय अधिकतम राशि से ज्यादा नहीं होगी जो आयकर के लिए वसूलने योग्य नहीं है.

स्थान :

दिनांक :

भाग II

घोषणकर्ता का हस्ताक्षर

(उस व्यक्ति द्वारा उपयोग हेतु जिसके लिए घोषणा दी गई है.)

1. भाग I के कॉलम 22 में संदर्भित आय अदा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम एचडीएफसी बैंक लि.	2. भाग II के कॉलम 1 में निर्देशत व्यक्ति का वैन AAACH2702H		
3. पूरा पता एचडीएफसी बैंक हाजुस, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई, महाराष्ट्र - 400013.	4. भाग II के कॉलम 1 में निर्देशत व्यक्ति का टैन MUMH03189E		
5. ईमेल : support@hdfcbank.com	6. (फोन नं. (एसटीडी कोड सहित) और मोबाइल नं. : 7. दर्जा देशी कंपनी		
8. दिनांक जिस पर घोषणा दी गई (दिन/माह/वर्ष)	9. अवधि जिसके संदर्भ में डिविड घोषित किया गया या आय अदा / जमा की गई	10. अदा आय की राशि	11. दिनांक जब आय अदा / जमा की गई ¹ (दिन / माह / वर्ष)
12. नेशनल सेविंग्स स्कीम के तहत डिविडेंड / निकासी की घोषणा, विवरण या भुगतान का दिनांक दिन/माह/वर्ष		13. नेशनल सेविंग स्कीम का अकाउंट नंबर जिसके निकासी की गई ¹ लागू नहीं	

मुख्य आयुक्त या आयकर आयुक्त को अप्रेषित.....

स्थान :

दिनांक :

भाग I के कॉलम 2 1 में संदर्भित आय अदा
करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का हस्ताक्षर

नोट:

1. डाक-तार का पूरा पता दीजिए।
2. घोषणा तीन प्रतियों में दी जाए।
3. *जो लागू न हो उसे काट दें।
4. किसी व्यक्ति द्वारा धारा 197 ए (1) के तहत और किसी व्यक्ति (कंपनी या फर्म के अलावा) द्वारा धारा 197 ए (1) के तहत घोषणा की जा सकती है।
5. **उस क्षमता को दर्शाएं जिससे हिन्दू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों के संघ, आदि की ओर से घोषणा प्रस्तुत की गई हो।
6. सत्यापन (जँच) पर हस्ताक्षर करने से पहले घोषणाकर्ता संतुष्टि कर ले कि घोषणा में दी गई जानकारी पूर्ण रूप से सत्य, सही और पूरी है। घोषणा-पत्र में झूठा कथन देने वाले व्यक्ति पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के अंतर्गत अभियोग लगाया जा सकता है, तथा दोषी पाए जाने पर दण्ड दिया जाएगा-

 - (i) कर से बचने की मांग 25 लाख रुपये से अधिक हो जाने की स्थिति में छ: महीने से अनधिक लेकिन सात वर्ष तक जुमानी के साथ बढ़ाए जाने के योग्य कठोर कारावास;
 - (ii) किसी अन्य प्रकरण में, कठोर कारावास जो तीन माह से कम नहीं होगा लेकिन इसे जुमानी के साथ दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

7. भाग I के कॉलम 22 में संदर्भित आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति घोषणा को स्वीकार नहीं करेगा जहाँ धारा 197 ए के उप धारा (1) या उप धारा (1ए) में संदर्भित स्वरूप की आय राशि या ऐसी जमा या अदा की राशि का योग या पिछले वर्ष के दौरान जमा या अदा की जाने वाली संभावित राशि जिसमें शामिल की जानेवाली ऐसी आय अधिकतम राशि से अधिक हो जाती है, जो चैप्टर VI ए के तहत कर और कटौती लेने योग्य नहीं है, जिसके लिए घोषणाकर्ता पात्र हैं।

अस्वीकरण

1. फॉर्म 15जी केवल 60 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों (यदि 60 वर्ष से अधिक हो तो फॉर्म 15एच भरें), स्वामित्व, समाज, व्यक्ति संघों, न्यास, एचयूएफ आदि के लिए भरा जाना है।
2. यदि पैन के विवरण बैंक के रिकार्डों में अद्यतन नहीं किए गए हैं तो टीडीएस का छूट चिन्हित नहीं किया जाएगा।
3. टीडीएस का छूट इस फॉर्म के जमा करने की विधि से चिन्हित किया जाएगा।
4. पहले से ही की गई ख्रोत पर कर की कटौती को वापस नहीं किया जाएगा तथा इसकी मांग आयकर विभाग से की जा सकती है।
5. प्रत्येक नए विचारी वर्ष में विचारी वर्ष के आरंभ में नया फॉर्म 15जी जमा किया जाना आवश्यक है।
6. फॉर्म 15जी तीन प्रतियों में जमा किया जाना आवश्यक है।
7. बैंक में बुक किए गए प्रत्येक सावधि जमा के लिए फॉर्म 15जी जमा कराना आवश्यक है।
8. फॉर्म 15जी के विलंब से या गैर-प्रस्तुत या गलत प्रस्तुत किए जाने के कारण उत्पन्न जिसी परिणाम या हानि के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
9. मैं/हम पूर्णतया समझते हैं कि पैन के गलत उद्धरण के, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के अंतर्गत दाइडिक परिणाम हो सकते हैं तथा पैन के गलत उद्धरण के कारण उत्पन्न किसी भी परिणाम के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं हैं।